लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था 2 / सी / स्थाना / 07 / 10 / 57 भोपाल, दिनांक 13-1-2011

/ /आदेश/ /

संचालनालय के आदेश क्रमांक स्था-2 / सी / स्थाना / 07 / 2010 / 631-632, दिनांक 6.5.2010 द्वारा श्री देवीसिंह उईके व्याख्याता (वाणिज्य) शास.बा.उ.मा.वि.हरपालपुर जिला छतरपुर का स्वैच्छिक आधार पर शास.क.उ.मा.वि.परासिया जिला छिन्दवाडा स्थानातंरण किया गया था, किन्तु उक्त संस्था में पूर्व से व्याख्याता वाणिज्य के पद पर श्री वीरसिंह अडमें पदस्थ थें तथा इनका संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक स्था-2 / सी / स्थाना. / 07 / 2010 / 633-34 दिनांक 6.5.2010 द्वारा शास.क.उ.मा.वि.परासिया जिला छिन्दवाडा से शास.क.उ.मा.वि.अमरवाडा जिला छिन्दवाडा प्रशासनिक स्थानातंरण किया गया था । उक्त स्थानातंरण आदेश के विरूद्व श्री अडमें द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यु.पी. 7298 / 2010(एस) दायर की गई उक्त याचिका पर मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 31.5.2010 को अंतरिम राहत सहित शास.क.उ.मा.वि.परासिया जिला छिन्दवाडा में निरंतर कार्य करने की अनुमति देते हुए आदेश पारित किया गया हैं । अतः श्री देवीसिंह उईके व्याख्याता (वाणिज्य) को शास.क.उ.मा.वि.परासिया से शास.म.ल.बा.क.उ.मा.वि.छिन्दवाडा में व्याख्याता (वाणिज्य) के रिक्त पद पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता हैं ।

2/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

<u>आयुक्त द्वारा आदेशित</u>

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठाकमांक / स्था.2 / सी / स्थानां / 07 / 10 / 58 भोपाल, दिनांक 13-1-2011

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक,मान.मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन,मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला छिन्दवाडा म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. ।
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला छिन्दवाडा म.प्र. ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला छिन्दवाडा म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग केव्याख्याता है तथा कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व भी स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एकसप्ताह में कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के कियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
7. संबंधित संस्था प्राचार्यो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण म.प्र